डॉ० निधि पाण्डेय, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव
Dr. Nidhi Pandey, IAS
Joint Secretary

International Year of Cooperatives
2025
Cooperatives Build a Better World

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली – 110001
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMRNT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NEW DELHI - 110001

अ.शा.पत्र सं. 16/02/2026-रा.भा.(सेवा) **दिनांक: 09 जून, 2026**

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना है जो हाल ही में राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है तथा जो केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित सेवा आचरण के अनुपालन से संबंधित है।

2. विभाग के संज्ञान में ऐसे कुछ मामलें आए हैं जहां केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कार्मिकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना मंत्रालय/विभाग का संदर्भ देते हुए व्यक्तियों का साक्षात्कार (इंटरव्यू) लेने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी वेबसाइट, पुस्तक अथवा लेखक/प्रकाशक की कॉपीराइट-संरक्षित सामग्री का उपयोग अपनी रचना के रूप में प्रस्तुत करना अथवा अपनी पुस्तक/रचना के प्रचार-प्रसार एवं विक्रय के उद्देश्य से उसका उपयोग करना भी नियमों के विपरीत है। ऐसे कृत्य न केवल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि उनसे राजभाषा विभाग की प्रतिष्ठा एवं छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. यह सर्वविदित है कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक से पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एवं शिष्ट आचरण की अपेक्षा की जाती है। साथ ही, नियम 3(1)(xv) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी सेवक अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग तथा उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से संवेदनशील बनाते हुए आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने पद, पदनाम, विभागीय पहचान अथवा सरकारी हैसियत का उपयोग व्यक्तिगत लाभ, निजी हित अथवा किसी अनधिकृत गतिविधि के लिए न करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वे सेवा आचरण नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ करें।

यह भी अनुरोध है कि इस पत्र के अनुपालन में की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

शुभेच्छु,

(डॉ. निधि पाण्डेय)

केन्द्रीय राजभाषा सचिवालय सेवा संवर्ग के सभी भागीदार मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के संयुक्त सचिव (प्रशा.)।

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:-</u>

1. केन्द्रीय राजभाषा सचिवालय सेवा संवर्ग के सभी कार्मिक।
2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी।

एनडीसीसी–II भवन, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001.
NDCC-II Building, 4th Floor, Jai Singh Road, New Delhi-110001
टेलीफैक्स (का.) / Telefax (O) : 011-23438130 ई–मेल / E-mail : jsol@nic.in